



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 59291

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1097/2026

मोहम्मद साकिब

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

श्रीमती काशिफा और अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : स्वयं उपस्थित

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए. नीरज कुमार चौरसिया

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

- हमने पुनरीक्षणकर्ता मोहम्मद साकिब, विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज कुमार चौरसिया और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- पुनरीक्षणकर्ता ने स्वयं निवेदन किया कि यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के साथ दायर की गई है। प्रार्थना खंड नीचे दिया गया है:-

"1. इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए और मुजफ्फरनगर परिवार न्यायालय द्वारा वाद संख्या 484/2018 (धारा 125 सीआरपीसी के तहत) में दिनांक 03.05.2024 को पारित एकतरफा आदेश को रद्द किया जाए।

2. उक्त आदेश के अनुसरण में धारा 147 बीएनएसएस के तहत वाद संख्या 1275/2024 में जारी की गई वसूली कार्यवाही और गैर-जमानती वारंट को रद्द किया जाए।"

- पुनरीक्षणकर्ता (पति), जो पेशे से अधिवक्ता हैं, इस मामले में स्वयं उपस्थित हुए हैं और प्रस्तुत करते हैं कि विपक्षी संख्या 2 (पत्नी) का विवाह उनसे मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार 10.04.2016 को हुआ था। विवाह के बाद, विपक्षी संख्या 2 आवेदक के साथ 30.04.2018 तक,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यानी लगभग दो वर्षों तक रहीं। इसके बाद, वह वैवाहिक घर छोड़कर अपने मायके में अपने भाइयों के साथ रहने लगी।

4. आगे यह निवेदन किया जाता है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने 7 जुलाई 2018 को धारा 125 दंड प्रक्रिया के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दहेज की मांग और शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे निवेदन किया कि वह उक्त कार्यवाही में विधिवत उपस्थित हुआ और 21 नवंबर 2018 को अपनी पत्नी को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की; हालांकि, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद माननीय परिवार न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह के लिए एक तिथि निर्धारित की, लेकिन विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने की इच्छा नहीं दिखाई।

5. याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित होकर यह निवेदन करता है कि विपक्षी संख्या 2 की अनुपस्थिति के कारण धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन 23.09.2019 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, एक महीने के भीतर 11.10.2019 को पुनः सुनवाई के लिए आवेदन दायर किया गया। याचिकाकर्ता ने आगे निवेदन किया कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता-पति को 11.10.2019 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण कार्यवाही बाधित हुई और अंततः पुलिस अधीक्षक के माध्यम से याचिकाकर्ता को नोटिस तामील कराया गया। इसके फलस्वरूप, याचिकाकर्ता 12.05.2023 को पारिवारिक न्यायालय में उपस्थित हुआ।

6. याचिकाकर्ता स्वयं उपस्थित होकर यह निवेदन करता है कि 23.06.2023 को वह मुजफ्फर नगर स्थित पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हुआ और मामले को पुनः शुरू करने के आवेदन पर दलीलें दी गईं। इसके बाद मामले को 28.06.2023 को आदेश सुनाने के लिए निर्धारित किया गया। उक्त तिथि को, एक विस्तृत आदेश द्वारा, मामले को उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया गया। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि इसके बाद याचिकाकर्ता-पति संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जबकि विपक्षी पक्ष संख्या 2 (पत्नी) नियमित रूप से उपस्थित होती रही और मामले को आगे बढ़ाती रही। परिणामस्वरूप, दिनांक 03.05.2024 के आदेश द्वारा, माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने धारा 125 सीआरपीसी के तहत आवेदन को एकतरफा स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता-पति को

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पत्नी को 10,000/- रुपये प्रति माह और नाबालिग बेटी को 5,000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।

7. याचिकाकर्ता आगे निवेदन करता है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 के भाई ने उसे धमकी दी, इसलिए वह परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका।

8. याचिकाकर्ता-पति निवेदन करता है कि वह माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण का भुगतान करने की आर्थिक स्थिति में नहीं है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त आदेश एकतरफा पारित किया गया है, जिसमें उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

9. कार्यवाही के दौरान, न्यायालय ने याचिकाकर्ता-पति से विशेष रूप से पूछा कि क्या पत्नी को कोई राशि दी गई है; हालांकि, आवेदक ने स्वीकार किया कि आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से व्यक्तिगत रूप से यह भी पूछा कि क्या वह अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के पक्ष में अब तक अर्जित राशि में से कुछ भरण-पोषण राशि का भुगतान करने को तैयार है, ताकि धारा 126(2) सीआरपीसी के परंतुक के तहत एकतरफा आदेश को रद्द कराया जा सके। हालांकि, आवेदक ने स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी भुगतान करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसके पास उक्त दायित्व को पूरा करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं।

10. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, श्री नीरज कुमार चौरसिया ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-पति एक वकालत करने वाला अधिवक्ता है। यह तर्क दिया गया है कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन में विशेष रूप से उल्लिखित निरंतर उत्पीड़न और दहेज की मांग के कारण पत्नी अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने मायके में अपने भाइयों के साथ रहने के लिए विवश है। इसके बावजूद, आवेदक ने आज तक न तो पत्नी और न ही नाबालिग बेटी को भरण-पोषण के रूप में कोई राशि दी है, जो आक्षेपित आदेश के अनुपालन में है।

11. यह निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता-पति एक कोचिंग सेंटर चला रहा है और पर्याप्त आय अर्जित कर रहा है, जिसे माननीय पारिवारिक न्यायालय ने भरण-पोषण राशि निर्धारित करते समय विधिवत ध्यान में रखा है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निवेदन किया गया है कि कोविड-19 की अवधि समाप्त होने के बाद, आवेदक 23.06.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और बहाली आवेदन पर बहस की, और मामले को 28.06.2023 को आदेश सुनाने के लिए निर्धारित किया गया था। तदनुसार, मामले को 28.06.2023 को बहाल कर दिया गया; हालांकि, इसके बाद, आवेदक ने फिर से उपस्थित न होने का विकल्प चुना। अतः, परिवार न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश के पास कोई विकल्प न होने के कारण, उन्होंने एकतरफा आदेश पारित किया। अतः निवेदन है कि आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार पारित किया गया है और इस न्यायालय द्वारा इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने एकतरफा आदेश को वापस लेने के लिए निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126(2) के परंतुक के अंतर्गत कोई आवेदन दाखिल नहीं किया है। निवेदन है कि उक्त प्रावधान के अनुसार, एकतरफा आदेश को केवल निर्धारित समय के भीतर पर्याप्त कारण बताए जाने पर ही रद्द किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 का प्रावधान नीचे दिया गया है:-

"धारा 126. प्रक्रिया.(1) धारा 125 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी जिले में कार्यवाही की जा सकती है?

(क) जहाँ वह है, या

(ख) जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती है, या

(ग) जहाँ वह आखिरी बार अपनी पत्नी के साथ, या जैसा भी मामला हो, नाजायज बच्चे की माँ के साथ रहता था।

(2) ऐसे सभी मामलों में साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के भुगतान का आदेश प्रस्तावित है, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई हो, तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में लिए जाएंगे, और समन मामलों के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किए जाएंगे:

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध भरण-पोषण के भुगतान का आदेश प्रस्तावित है, वह जानबूझकर तामील से बच रहा है, या जानबूझकर न्यायालय अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में उपस्थित होने में लापरवाही कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई और निर्णय एकतरफा कर सकता है और इस प्रकार दिया गया कोई भी आदेश उचित कारण बताए जाने पर, उस आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर किए गए आवेदन पर रद्द किया जा सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन, जिनमें प्रतिवादी को लागत के भुगतान से संबंधित शर्तें भी शामिल हैं, जिन्हें मजिस्ट्रेट उचित समझे।

(3) धारा 125 के तहत आवेदनों पर विचार करते समय न्यायालय को खर्चों के संबंध में ऐसा आदेश देने का अधिकार होगा जो उचित हो।

14. प्रतिपक्षी संख्या 2 के भाई द्वारा धमकी के आरोप के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी और न ही किसी न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज की गई थी। यह भी बताया गया है कि यद्यपि आवेदक ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसे एकतरफा स्वीकार कर लिया गया था, और यहां तक कि निष्पादन कार्यवाही भी शुरू की थी, उसने पत्नी को वापस लाने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह कभी उसके निवास पर नहीं गया।

15. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदनों पर विचार किया है। यह स्पष्ट है कि आवेदक ने एकतरफा आदेश के अनुपालन में पत्नी और नाबालिग बच्चे के भरण-पोषण के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है, और न ही उसने धारा 126 सीआरपीसी के तहत आदेश को वापस लेने के लिए भुगतान करने की कोई इच्छा दिखाई है।

16. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है। तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। खारिज किया जाता है।

17. मुजफ्फर नगर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रजनेश बनाम नेहा और अन्य मामले (2021(2) एससीसी 324) में दिए गए निर्णयों के अनुसार भरण-पोषण आदेश को कानून के अनुसार लागू करने हेतु उचित कदम उठाएं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

23 मार्च, 2026

डीकेएस

Translated, Corrected & Authenticated

by Rishabh Singh (Adv.)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।